न्यायायाल श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर

श्री III/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा/2018/0768
द्वारा आज प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु नियत दिनांक

दिनांक 29.1.18 को श्री रामशर्मा चौहान अभि० द्वारा प्रस्तुत
29.1.18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
फोटो 16.2.18 राम एस चौहान
29.1.18

भगवानसिहं पुत्र रामसिहं कुशवाह नि.भुगावली हाल तहसील नईसरांय जिला अशोकनगर

निगरानीकर्ता

वनाम

कल्याणसिहं पुत्र मोवतसिहं जाति यादव निवासी ग्राम भुगावली तहसील नईसरांय जिला अशोकनगर

प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी

निगरानी अधीन धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं01959

निगरानी विरूद्व आदेश अधिनस्थ न्यायालय के श्रीमान तहसीलदार महोदय नईसरांय उनके प्र.क्रं.3अ12/17/18 उनके आदेश दिनांक 13.10.2017 के विरूद्व ।

माननीय महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी सादर निम्न प्रकार प्रस्तुत है ।

1. यहकि भूमि स्थित ग्राम भुगावाली के सर्वे नं.107/1/3 रकवा 0.282, 1.254 है0 स्थित है जो निगरानीकर्ता के कब्जे की है उसका सीमांकन वाला वाला राजस्व निरिक्षक एवं पटवारी ग्राम द्वारा किया जो विधि विपरीत होने से निरस्ती योग्य है ।

2. यहकि उपरोकत भूमि का सीमांकन कागजी कराकर धारा 250 म.प्र.भू.रा.सं.1959 के तहत् तहसीलदार नईसरांय में पेश कर किया और तहसीलदार महोदय द्वारा प्रकरण चालू कर सुनवाई पर रख दिया जिससे निगरानीकर्ता को असीमित कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । क्योंकि निगरानीकर्ता का उपरोक्त भूमि में चना की फसल बोई है जो शीघ्र ही पकक़र कटने वाली है । जिस पर षड़यंत्र रचकर प्रतिनिगरानीकर्ता चना की फसल को खुर्द बुर्द करना चाहते हैं ।

भगवानसिंह

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

तीन/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा/2018/0768

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
25.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार नई सराय के प्रकरण कमांक 3/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 13.10.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अनुविभागीय आधिकारी अशोकनगर जिला अशोकनगर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 29/4/19 **अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर जिला अशोकनगर**	